जिला– बूंदी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.11.2019	अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पीठ जयपुर द्वारा अपील याचिका सं0 83/2000 सुरेन्द्रसिंह बनाम सरकार मे पारित निर्णय 29.11.2006 की प्रमाणित प्रति पेश कर अपील को पुनः सुनवाई हेतु नम्बर लिये जाने बावत न्यायालय हाजा मे प्रसतुत प्रार्थना पत्र सं0 4/2007 के साथ संलग्न होकर आज प्रस्तुत हुई। उक्त प्रार्थना पत्र मे पारित निर्णय 18.11.2019 अनुसार माननीय उच्च न्यायालय पीठ जयपुर द्वारा पारित निर्णय के आलोक मे अपील को पुनः सुनवाई हेतु नम्बर पर लिया जाता है। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलार्थी एवं रेस्पो0 राजकीय अधिवक्ता उपस्थित है। अपील प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक सुनी गई तथा अपील पत्रावली एंव माननीय उच्च न्यायालय पीठ जयपुर द्वारा याचिका सं0 83/2000 सुरेन्द्रसिह बनाम सरकार मे पारित निर्णय दिनांक 29.11.2006 का अवलोकन किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा इस न्यायालय द्वारा अपील प्रकरण सं0 11/97 मे पारित आदेश अनुसार अपील अपीलांट अपीलार्थी एवं उसके अभिभाषक की अनुपस्थिति मे खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त मे सार इस प्रकार है कि अपीलार्थी को बारह बोर गन का लाईसेन्स जिला कलक्टर झालावाड द्वारा जारी किया गया था जिसे जिला मजि0 बूंदी ने दिनांक 10.12.1996 को निरस्त कर दिया। उक्त आदेश विधि न्याय एवं संचिका मे सिद्धि प्राप्त तथ्यों के विपरीत एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत है क्योंकि जेरअपील आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नही दिया गया। अनुज्ञापत्र जिला मजि0 झालावाड द्वारा जारी किया गया था ऐसी स्थिति मे अनुज्ञापत्र निरस्त करने का अधिकार भी उन्ही को प्रदत्त था ऐसी स्थिति मे पारित आदेश क्षेत्राधिकार से बाधित है तथा आदेश पारित करने से पूर्व किसी भी प्रकार की जांच नही की गई। शस्त्र अनुज्ञापत्र की शर्तो का उल्लधन नही किया गया ना ही शस्त्र का कभी दुरूपयोग किया गया। अतः जेरअपील आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड किया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गई। बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड करने का अनुरोध किया। राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस मे अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्यायोचित होना प्रकट करते हुये अपील खारिज करने का अनुरोध किया। हमने अपील पत्रावली का आध्योपात अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है डिले कन्डोन हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों के समर्थन मे स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है। रेसपो0 राजकीय अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र एवं शपथ मे वर्णित तथ्यों का खण्डन नही किया है ऐसी स्थिति मे शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उलब्ध नही है लिहाजा विलम्ब अवधि क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।	

G2

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा